एक कानून जो अपने उद्देश्य को कमजोर बनाता है

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक- जयना कोठारी (वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय)

29 दिसंबर, 2018

"ट्रांसजेंडर बिल सकारात्मक अधिकार को नजरअंदाज करने के साथ-साथ नालसा फैसले की सुरक्षा की भी अनदेखी करता है।"

हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2018 ने कई चिंताओं को पैदा किया है। ट्रांसजेंडर समुदायों के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन किया, सांसदों के साथ प्रचार-प्रसार किया और विधेयक के खिलाफ बात की। जिसके बाद यह समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये सब विरोध इसलिए किया जा रहा है ताकि कानून पारित न हो? हमारे सामने अब यह प्रश्न खड़ा है कि आखिर इस विधेयक का इतना प्रबल विरोध क्यों किया जा रहा है?

जेंडर मान्यता

लैंडमार्क फैसला अर्थात नालसा बनाम भारत संघ के फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स या मध्यलिंगी या मध्यलिंगी व्यक्तियों को पुरुष, स्त्री या ट्रांसजेंडर के रूप में अपने लिंग की पहचान करने का संवैधानिक अधिकार है, वो भी बिना किसी मेडिकल हस्तक्षेप के। अदालत ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति की स्व-परिभाषित यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान उनके व्यक्तित्व से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है और यह आत्मनिर्णय, गरिमा और स्वतंत्रता के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक है और किसी को भी एसआरएस, नसबंदी या हार्मोनल थेरेपी सहित चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

इसलिए, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों के लिए किसी भी पहचान दस्तावेज के लिए पूर्व शर्त के रूप में चिकित्सा प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और न ही किसी मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अपने लिंग की पहचान के लिए चिकित्सकीय उपचार या मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है, तो यह उस व्यक्ति के सम्मान के अधिकार, अवांछित चिकित्सा उपचार से मुक्त होने के अधिकार और भेदभाव से मुक्त होने के अधिकार का उल्लंघन है।

विधेयक, 2018 के धारा 6 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मान्यता के उद्देश्य के लिए एक जिला स्क्रीनिंग समिति की स्थापना करने को शामिल किया गया है। इस स्क्रीनिंग कमेटी में एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एक मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक शामिल हैं, जिन्हें इसलिए शामिल किया गया है ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि लिंग पहचान के परिवर्तन की स्वीकृति में चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की आवश्यकता होगी। विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लिंग परिवर्तन को चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक उपचार के बिना अनुमति दी जाएगी।

विधेयक में पुरुष या महिला के रूप में लिंग पहचान की मान्यता की भी अनुमति नहीं है। यह केवल ट्रांसजेंडर के रूप में एक पहचान प्रमाणपत्र की अनुमति देता है। यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जिसने स्वयं को पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान करने के अधिकार को मान्यता दी है और यह भी एक प्रमुख कारण है और यह इंटरसेक्स या मध्यलिंगी व्यक्तियों को भी "ट्रांसजेंडर" के रूप में लैंगिक पहचान प्राप्त करने के लिए मजबूर करेगा।

यूके के जेंडर रिकॉग्निशन एक्ट 2004 दुनिया का पहला ऐसा कानून था, जो लोगों को बिना सर्जरी के लिंग परिवर्तन करने की अनुमति देता था। जिसके बाद अर्जेंटीना, आयरलैंड और डेनमार्क सहित अन्य देशों ने भी इस तरह के कानून पारित करना शुरू कर दिए, जो लोगों को अपने चिकित्सा विशेषज्ञों के एक पैनल से अनुमोदन लेने के बजाय उन्हें अपने लिंग को स्वयं घोषित करने की अनुमति देते हैं।

इसलिए जिला स्क्रीनिंग कमेटी को 2018 बिल से हटाने की जरूरत है। विधेयक में स्पष्ट रूप से यह बताने की आवश्यकता है कि इस संदर्भ में किसी को भी चिकित्सा या मानसिक स्वास्थ्य परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी और आवेदकों को बस लिंग पहचान के परिवर्तन के अनुरोध के लिए एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।

आरक्षण प्रदान नहीं किया गया

विधेयक पर बहस में हमेशा शैक्षिक संस्थानों में और सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स या मध्यलिंगी व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मांग शामिल है क्योंकि उन्हें उनके सामाजिक समावेश के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है। यह न केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नासला में अनिवार्य किया गया था।

आश्चर्यजनक रूप से 2018 विधेयक कोई भी आरक्षण प्रदान नहीं करता है। हांलाकि, इसके धारा 10 और 14 में यह शामिल किया गया है कि इनके साथ शिक्षा और रोजगार में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा, लेकिन ये अधिकार निरर्थक हैं क्योंकि यदि ट्रांसजेंडर व्यक्ति पहले स्थान पर पहुंच पाने में ही सक्षम नहीं होंगे तो वे इस अधिकार का लाभ कैसे उठा पाएंगे। समानता का अर्थ हुआ कि इन ट्रांस और इंटरसेक्स या मध्यलिंगी समुदायों को अपने मूल सामाजिक अधिकारों तक पहुंच प्राप्त हो और इन्हें प्रदान की जाने वाली शिक्षा और रोजगार में क्षैतिज आरक्षण प्राप्त हो। जब दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 को पारित किया गया था, तो इसमें क्रमशः शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 5% और 4% का आरक्षण शामिल था। इसलिए यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि 2018 विधेयक में समान प्रावधानों का उल्लेख क्यों नहीं किया गया।

आपराधिक जीवन

यदि कोई व्यक्ति एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भीख मांगने के लिए मजबूर करता है तो यह विधेयक के धारा 19 के तहत अपराध है और इसके गंभीर निहितार्थ हैं। ट्रांस और इंटरसेक्स या मध्यलिंगी समुदाय की बड़ी संख्या भेदभाव के कारण भीख मांगने और सेक्स के काम में लगे हुए हैं और उनके पास इसके अलावा कोई अन्य अवसर उपलब्ध नहीं है।

इस प्रावधान से ट्रांस समुदाय के सदस्य अपराध की श्रेणी में आ जायेंगे। जब खुद से भीख मांगने को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा

असंवैधानिक ठहराया गया है, तो इस अपराध के लिए विधेयक, 2018 में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बहुत लंबे समय तक, लिंग अल्पसंख्यकों का सड़कों पर और सार्वजनिक रूप से बाहर रहना अपराध की श्रेणी में रखा गया है और विधेयक में यह अपराध होने से ट्रांसजेंडर समुदायों का जीवन भी अपराध की श्रेणी में आ जायेगा।

इन सभी तरीकों से विधेयक, 2018 गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। इसमें सकारात्मक अधिकारों का एक संपूर्ण सार शामिल नहीं है अर्थात इसमें संपत्ति के उत्तराधिकारियों के रूप में ट्रांस और इंटरसेक्स व्यक्तियों का अधिकार, परिवार के भीतर के अधिकार जैसे गोद लेना और घरेलू हिंसा से मुक्त होना, राजनीतिक भागीदारी के अधिकार जैसे कि वोट देने का अधिकार और सार्वजनिक कार्यालय और स्वास्थ्य का अधिकार मुफ्त सेक्स पुनर्मूल्यांकन उपचार, शामिल नहीं है। यह ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों के खिलाफ यौन हिंसा को अपराध नहीं बनाता है। बलात्कार पर वर्तमान कानून लिंग विशेष है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न के लिए आपराधिक कानून के तहत कोई सहारा प्रदान नहीं किया गया है।

विधेयक यह सुनिश्चित करने का एक अवसर है कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स या मध्यलिंगी व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों को महसूस किया जाए। इसलिए हमं इस तरह के दोषपूर्ण कानून को पारित होने से रोकने के लिए एकजुट होना पड़ेगा।

GS World टीम...

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार सुरक्षा) विधेयक, 2018

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अधिकार देने और कानून के अन्दर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए लोक सभा ने ध्वनि मत से ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार सुरक्षा) विधेयक, 2018 को पारित कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- यह विधेयक स्थायी समिति को विचारार्थ भेजा गया था। फिर समिति ने विधेयक में 27 संशोधनों के सुझाव दिए जिन्हें सरकार ने स्वीकृत कर लिया था।

नई परिभाषा

- जो संशोधन स्वीकार किये गये, उनमें से एक संशोधन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पुरानी परिभाषा को लेकर था जिसमें उन्हें न तो पूर्णत: स्त्री और न ही पूर्णत: पुरुष बताया गया था।
- इस परिभाषा को संवेदनहीन कह कर इसकी आलोचना की गई थी।
- नई परिभाषा के अनुसार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका वर्तमान लिंग जन्म के समय उसके लिंग से भिन्न है और इसमें ये व्यक्ति आते हैं-ट्रांस पुरुष अथवा ट्रांस स्त्री, अंतर-यौन विविधताओं वाले व्यक्ति, विचित्र लिंग वाले व्यक्ति तथा सामाजिक-सांस्कृतिक पहचानों वाले कुछ व्यक्ति जैसे-किन्नर, हिजड़ा, अरावानी और जोगटा।

मुख्य बिंदु

- इस विधेयक का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे भेदभाव को समाप्त करना है। जिन क्षेत्रों में इनसे भेदभाव होता है, वे हैं-शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य-देखभाल।
- विधेयक केंद्र और राज्य सरकारों को इनके लिए कल्याणकारी योजनाएँ चलाने का निर्देश देता है।
- विधेयक में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता उस पहचान प्रमाण-पत्र के आधार पर दी जाएगी जो जिला छटनी समिति के माध्यम से निर्गत होगा।
- इस प्रमाण-पत्र को ट्रांसजेंडर की पहचान का साक्ष्य माना जाएगा और विधेयक के अंदर विहित अधिकार उसे दिए जाएँगे।

विरोध क्यों?

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए था कि वह अपनी पहचान स्वयं दे सके, न कि किसी जिला छटनी समिति के माध्यम से।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण देने के मामले में भी विधेयक मौन है।
- विधेयक में संगठित भीक्षाटन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, परन्तु इसके बदले कोई आर्थिक विकल्प नहीं दिया गया है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बलात्कार अथवा यौनाचार के लिए विधेयक में किसी दंड का प्रावधान नहीं है क्योंकि भारतीय दंड संहिता में बलात्कार की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को शामिल नहीं किया गया है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. धारा 10 और 14 में ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है।
   2. धारा-19 के तहत कोई व्यक्ति एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भीख मांगने के लिए प्रेरित करता है, तो अपराधी माना जायेगा।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: "ट्रांसजेंडर बिल सकारात्मक अधिकार को नजरअंदाज करने के साथ-साथ नालसा बनाम भारत संघ के फैसले की सुरक्षा को भी दरकिनार कर रहा है।" विश्लेषणात्मक विवेचना कीजिए। (250 शब्द)

नोट : 28 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।